संख्या 1699 /9-आ-3-1999

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मुजफ्फरनगर।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 1999

विषयः आर्किटेक्ट एक्ट-1972 के प्रावधानों को लागू किया जाना।

महोदय,

प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल आफ़ आर्किटेक्चर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत तरीके से आर्किटेक्ट के रूप में कार्य किया जा रहा है जोकि अनुचित है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जनसाधारण के हितों की सुरक्षा तथा आर्किटेक्चर प्रोफेसन के संरक्षण हेतु इस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्किटेक्ट एक्ट-1972 एक केन्द्रीय कानून है तथा भारत सरकार के गजट नोटीफिकेशन के दिनांक (31 मई, 1972) से सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का गठन किया गया है तथा धारा-37 के प्रावधानों के अन्तर्गत काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आर्किटेक्ट के टाईटिल के साथ कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल आफ आर्किटेक्ट से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा लाईसेन्स लेने की भी आवश्यकता नही है।

3- कृपया अपने प्राधिकरण क्षेत्र में आर्किटेक्ट एक्ट-1972 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराएं तथा अनधिकृत रूप से आर्किटेक्ट के रूप में प्रैक्टिस कर

रहे व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराएं।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव।

संख्या 1699 (1)/9-आ-3-1999 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्री के० गोपाल कृष्ण भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल आफ आर्किटेक्टचर, इण्डिया हैबीटाट सेन्टर, 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सी.ए./28/99/ए.ई. दिनांक 27.3.99 जो मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित है, के संदर्भ में ।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- प्रेसीडेन्ट, यू०पी० चैप्टर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्ट, 58-हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

(यशवीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या: 3883 / 9-आ-3-03-46विविध / 2003

प्रेषक,

श्री जे.एस मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. नियन्त्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ; दिनांक 23 अगस्त, 2003

विषय: आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों तथा नियन्त्रक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञापित व्यक्तियों को लाईसेन्स जारी किए जाने हेतु आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के प्राविधानों को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षण किया है कि आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 एक केन्द्रीय कानून है जो दिनांक 01.9.1972 से लागू है एवं इसका मुख्य प्रयोजन प्रैक्टिसिंग आर्कीटेक्ट्स के प्रोफेशनल आचरण को नियन्त्रित करना तथा सामान्य जनता को ऐसे अपात्र व्यक्तियों से संरक्षण दिलाना है जो अनधिकृत रूप से आर्कीटेक्ट के रूप में कार्यरत हैं। उक्त एक्ट के प्राविधानों के अनुसार आर्कीटेक्ट की उपाधि के रूप में केवल वही व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है जो काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर में पंजीकृत है। परन्तु इसके बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि स्थानीय अभिकरणों द्वारा लाईसेन्स जारी करने में आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उक्त एक्ट के प्राविधानों को लागू करने हेतु समस्त सम्बन्धित अभिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल बिल्डिंग कोड में आर्कीटेक्ट, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, टाउन प्लानर व सुपरवाइजर की अर्हताएं एवं क्षमता सम्बन्धी गाईडलाईन्स दी गई हैं जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57(डी) के अधीन आर्कीटेक्ट टाउन प्लानर, इंजीनियर, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन आदि को भवन मानचित्र, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बनाए गए बाई-लॉज के अनुसार लाईसेन्स जारी करने का अधिकार है। आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के अनुसार ऐसा तकनीकी व्यक्ति जो अर्ह आर्कीटेक्ट नहीं है एवं काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर में पंजीकृत नहीं है, आर्कीटेक्ट की हैसियत से व्यवसाय

3. नही कर सकता है। अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्टचर से पंजीकृत आर्कीटेक्ट को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्कीटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य स्तर पर पंजीकरण कराने अथवा लाईसेन्स लेने की भी आवश्यकता नही है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत आर्कीटेक्चर प्रोफेशन के संरक्षण तथा जनसाधारण के हितों की सुरक्षा हेतु अपने ~~प्राधिकरण क्षेत्र में कपया~~ आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के ~~प्रावधानों को प्रभावी ढंग~~ से लागू कराएं तथा अनधिकृत रूप से आर्कीटेक्ट के रूप में ~~प्रैक्टिस कर रहे व्यक्तियों~~ के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे. एस. मिश्र)
सचिव।

संख्याः 3883(1)/9–आ–3–2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री विनोद कुमार, रजिस्ट्रार, काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्ट, इण्डिया हैबिटाट सेन्टर, 6–ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, तकनीकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेकेण्डरी एवं हायर एजूकेशन विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या एफ–17–6/2002–टीएस.प्ट दिनांक 19.12.2002 के संदर्भ में।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के अवलोकनार्थ।
4. अध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष यूपी.रेडको, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्कीटेक्ट्स एसोशिएसन, 350, सेक्टर–28 नोएडा, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, यू.पी. चैप्टर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स, लखनऊ।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

(दिवाकर त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या 1113/न.वि./आ./2001–112(आ)/2001

प्रेषक,

पी.सी. शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल।

सेवा में,

1. अध्यक्ष
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
दूनघाटी/नैनीताल/गंगोत्री।

2. उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण
मसूरी–देहरादून/हरिद्वार।

3. नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, रूडकी/बद्रीनाथ/औली/केदारनाथ/गोपेश्वर–चमोली/गौचर/चौपला/पौडी/उत्तरकाशी/श्रीनगर/नया टिहरी/चकराता (नवीन)/पिथौरागढ़/कौसानी/हल्द्वानी–काठगोदाम/रूद्रपुर/किच्छा/काशीपुर/ रामनगर/बाजपुर

आवास एवं शहरी विकास

देहरादूनः दिनांक 14 जून 2001

विषयः आर्किटेक्ट एक्ट–1972 के प्राविधानों को लागू किया जाना।

महोदय,

प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उत्तरांचल राज्य में कतिपय व्यक्तियों द्वारा जो वास्तुकार हेतु आवश्यक अर्हतायें नहीं रखते हैं छद्म रूप से वास्तुकार के रूप में अपने को प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों में पंजीकृत करवाकर कार्य कर रहे हैं, जो कि आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 की धारा 37 के प्राविधानों के विरूद्ध है। इससे न केवल वास्तुकारों के व्यवसाय बल्कि भवनों के निर्माण संबंधी सुरक्षा तथा डिजाइन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वास्तुकारों के व्यवसाय के संरक्षण एवं जनसाधारण के हितों तथा जानमाल की क्षति की सुरक्षा हेतु, इस पर ततकाल प्रतिबंध लगाये जाने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 एक केन्द्रीय कानून है तथा भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या 229 दिनांक 1 सितम्बर, 1972 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन किया गया है तथा धारा 37 के प्राविधानों के अंतर्गत काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आर्किटेक्ट के टाईटिल के साथ कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत आर्किटेक्ट को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिये किसी अन्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा लाईसेन्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि उनका पंजीकरण नियमित रूप से नवीनीकरण हो रहा हो।

3. कृपया अपने क्षेत्र में आप आर्किटेक्ट्स एक्ट, 1972 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करायें। यदि आपके अभिकरण में कोई व्यक्ति जो काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्ट के रूप में पंजीकृत नही है तथा उसे इस प्रयोजन हेतु लाईसेन्स दिया गया ळै तो उसका लाईसेन्स तुरन्त निरस्त कर दिया जाये। अनाधिकृत रूप से आर्किटेक्ट के रूप में कार्य कर रहे व्याक्तियों के विरूद्ध तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय
Sd/-
(पी.सी. शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. श्री के गोपाल कृष्ण भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, इण्डिया हैबीटाट सेन्टर, 6 ए प्रथम तल, लोधी रोड़, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सी0ए0/28/2001/एई दिनांक 04 अप्रैल, 2001 जो मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन, देहरादून को संबोदित है, के संदर्भ में।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, अवस्थपना, उत्तरांचल शासन।
4. प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

Sd/-
(पी.सी. शर्मा)
सचिव

संख्या 1113/नवि०/आ०/2001-112(आ)/2001.

प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष,
झील विकास प्राधिकरण,
कुमाऊँ/नैनीताल/गंगोत्री।

2- उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
मसूरी-देहरादून/हरिद्वार।

3- नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,रूड़की/ऋषिकेश/जोशीमठ/केदारनाथ/
गोपेश्वर-चमोली/गौचर/[illegible]/पौड़ी/उत्तरकाशी/
श्रीनगर/नया टिहरी/चकराता(चम्बा)/पिथौरागढ़/
भोवाली-नैनीताल/हल्द्वानी-काठगोदाम/रुद्रपुर/किच्छा/
काशीपुर/रामनगर/बाजपुर।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग देहरादून:: दिनांक [illegible] जून/2001.

विषय:- आर्किटेक्ट एक्ट-1972 के प्राविधानों को लागू किया जाना।

महोदय,

प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उत्तरांचल राज्य में कतिपय व्यक्तियों द्वारा जो वास्तुकार हेतु आवश्यक अर्हतायें नहीं रखते हैं, मुख्य रूप से वास्तुकार के रूप में अपने को प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों में पंजीकृत करवाकर कार्य कर रहे हैं, जो कि आर्किटेक्ट एक्ट, 1972 की धारा-37 के प्राविधानों के विरुद्ध है। इससे न केवल वास्तुकारों के व्यवसाय बल्कि भवनों के निर्माण संबंधी सुरक्षा तथा डिज़ाइन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वास्तुकारों के व्यवसाय के संरक्षण एवं जनसाधारण के हितों तथा जानमाल की हानि की सुरक्षा हेतु, इस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्किटेक्ट एक्ट, 1972 एक केन्द्रीय कानून है तथा भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या 229 दिनांक 1 सितम्बर, 1972 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन किया गया है तथा धारा-37 के प्राविधानों के अन्तर्गत काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आर्किटेक्ट के टाईटिल को धारण करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा-36 के अन्तर्गत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसी

----2

[illegible] काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत आर्किटेक्ट को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिये किसी अन्य स्तर पर [illegible] लाइसेन्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि उनका पंजीकरण [illegible] रूप से नवीनीकृत हो रहा हो ।

2- अतः [illegible] क्षेत्र में आप आर्किटेक्ट्स एक्ट, 1972 के प्राविधानों को प्रभावी [illegible] लागू करायें । यदि आपके अधिकरण में कोई व्यक्ति जो काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्ट के रूप में पंजीकृत नहीं है तथा उसे इस प्रयो[illegible] लाइसेन्स दिया गया है तो उसका लाइसेन्स तुरन्त निरस्त कर दिया जा[illegible] [illegible] रूप से आर्किटेक्ट के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध [illegible] आवश्यक कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें ।

भवदीय,

(पी०के०शर्मा),
सचिव ।

[illegible] : [illegible] ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- [illegible] कृष्ण [illegible], प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, इण्डिया हैबिटाट सेन्टर, [illegible], लोदी रोड, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सी0ए0/28-/2001/[illegible] [illegible] अप्रैल, 2001 जो मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, को सम्बोधित है, के संदर्भ में ।
2- [illegible] सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3- [illegible] सचिव एवं आयुक्त, अवस्थापना, उत्तरांचल शासन ।
4- [illegible] अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल [illegible] ।

आज्ञा से,

(पी०के०शर्मा),
सचिव ।

[illegible] अपराध [illegible] है । इसके

—2

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH

ABSTRACT

Implementation of the Architects Act, 1972 (Central Act No. 20 of 1972) in Andhra Pradesh – Instructions to Urban Development Authorities, Municipal Corporations and Municipalities – Orders – Issued.

MUNICIPAL ADMINISTRATION AND URBAN DEVELOPMENT (M1) DEPARTMENT

G.O. Rt. No. 978 MA., Dated 15th November, 2001

Read:

From Sri. A.B. Reddy, President, Practicing Architects Association letter dated 06.12.1999.

* * *

ORDER:

In the letter read above, the President, Practicing Architects Association has represented that the Architects qualified and registered under the Architects Act, 1972 (Central Act. No. 20 of 1972) are entitled to practice anywhere in the country without any further permit or registration or empanelment or restriction imposed by any Municipality / Municipal Corporation or Urban Development Authority in view of the settled position of Law explained by the Hon'ble High Court of Delhi in their judgment in C.W.P. 509/75 and 515/75, LPA No. 59/1975 and in view of the dismissal of Special Leave Appeal No. 6469 and 9380 of 1980 by the Supreme Court of India. He also furnished a copy of the letter addressed by the Joint Educational Advisor Government of India, Ministry of Education and Culture, (Department of Education) dated 28th May, 1984 to all the Chief Secretaries of State Governments wherein he has requested to advise all the local bodies i.e., Municipal Corporations , Municipalities, Urban Development Authorities, not to insist fther registration of fees from the Architects who already registered with the Council of Architecture. They have also submitted that inspite of the above position all the Municipalities and Municipal Corporations are insisting for separate registration / licence thereby causing hardship and imposing unnecessary restrictions. They have th_refore requested to issue necessary instructions to Municipalities / Municipal Corporations / Urban Development Authorities in state.

2. Government after careful examination of the matter hereby direct all the Municipalities, Municipal Corporations, and Urban Development Authorities in the state not to insist for separate registration of licence from the Architects registered with the Council of Architecture under the Architects Act, 1972 (Central Act. No. 20 of 1972). However the Architects shall submit the attested copy of the registration certificate along with the submitted plans.

3. The Commissioners of Municipalities / Municipal Corporations and Vice Chairman and Special Officers of Urban Development Authorities are therefore requested to take necessary action accordingly.

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH)

A.K. GOYAL
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT

To
The Commissioners of all Municipalities in the state (through R.D.D.T.Ps)
The Commissioners of all Municipal Corporations
The Vice Chairman and Special Officers of all Urban Development Authorities
The Director of Town & Country planning, Hyderabad.
The Chairman Indian Institute of Architects, A.P. Chapter.
The President Practicing Architects Association, A.P.
To All Regional Deputy Director of Town Planning (through D.T. & C.P., Hyd.)

//FORWARDED BY ORDER//

SECTION OFFICER

Municipal Administration and
Water Supply Department,
Secretariat, Chennai -9

Letter No.4496/MAI/03- 4 Dt 23.3.04.

From
Thiru L.N. Vijayaraghavan, I.A.S.,
Secretary to Government.
To

The Commissioner of Municipal Administration, Chennai-5
The Director of Town Panchayats, Chennai -108.
The Member Secretary, C.M.D.A, Chennai -8
The Commissioner, Corporation of Chennai
/Madurai/Coimbatore/Trichy/ Tirunelveli / Salem.

Sir,

Sub: Enforcement of the Architects Act 1972 - Issue of licenses by local authorities /agencies - Regarding.

Ref: 1. From the Joint Secretary (Technical) to Government of India, Ministry of Human Resource Development, New Delhi Lr. No. F-17-6/2002 /TS IV dt. 19.12.2002.
2. From the Administrative officer, council of Archietcture, New Delhi Ref.No. CA/28/2003/AE dt. 8.12.2003.
3. From the Commissioner of Town & Country Planning . Letter Roc No. 1163/2004/GR dt. 21.1.2004.

****

I am directed to say that the Joint Secretary to Government of India Ministry of Human Resources Development, Department of Secondary and Higher Education, New Delhi has stated that the Government of India enacted the Architects Act, 1972 under the Act of the Parliament for the registration of Architects and for matters connected their with. This statutory legislation had come into force with effect from 1st September/ 1972. The main purpose of this Act is to regulate the practice of Architects and thus to protect the general public from unqualified persons working as Architects and ensure the professional conduct of the practicing Architects. As per the provisions of the Act only those persons "registered" with the council of Architecture under Architects Act 1972can use title and style of the"Architect". The Government, therefore, can not recognise any person other than a registered architect or a firm of registered architects practicing as an "Architect" for any purpose whatsoever. Inspite of these

provisions and also the instructions issued at the level of Central Government it is found that the complaints are still being received in the Ministry and the Council of Architecture from various quarters regarding the violation of the provisions of the Architects Act 1972 by local authorities / agencies etc.

2. The Administrative Officer, Council of Architecture, New Delhi has stated that the council of Architecture has been receiving various representations from architects (persons registered with the Council of Architecture) that they are being compelled to register themselves with the Development Authorities, Municipal Corporations, Municipalities in the State of Tamilnadu and pay the licensing fee for practicing /pursuing the profession of an Archietct under their jurisdiction. In a case where Municipal Corporation of Delhi had insisted on fresh registration with the local body from the Archietects registered with the Council of Architecture, the High Court of Delhi had given a judgement against the Municipal Corporation of Delhi. The latter went in for appeal to the Supreme Court, but the appeal had been dismissed by the Supreme Court on 22nd April 1983.

3. I am therefore directed to request you to implement the provisions of the Architects Act 1972 and ensure that persons registered with the council of Architecture under the Archietcts Act are issued licenses to act as "Architect" only and no further registration or fees are asked from the Architects already registered with the council of Architecture for practising their profession. I am also to bring your notice that any contravention of the provision of the Act will attract punishment under the Act.

4. I am also directed to request you to communicate this letter to the executive authorities of all local bodies / Development authorities under your control, immediately.

Yours faithfully,

M. T. Nandane

for Secretary to Government.

Copy to: The Commissioner of Town and Country Planning, Chennai -2
The Joint Secretary(Technical) to Government of India,
Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary and Higher Education Shastri Bhavan, New Delhi.
The Administrative Officer, Council of Architecture, India Habitat centre, Core 6-A Ist floor, Lodhi road, New Delhi, 110 003.
The Housing & Urban Development (UD II) Department, Chennai -9.
Stock File / Spare copies